



प्रेस नोट

थाना – बाबूगढ़

दिनांक 03.11.2022

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में महिला/बालिकाओं से सम्बन्धित प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में महिला/बालिकाओं से सम्बन्धित प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते थाने के मु0अ0सं0 51/2017 धारा 452,376(2)(1) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में एक आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है ।

सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पता:-

सोनू पुत्र बनवारी निवासी ग्राम भमरा थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।